संख्या– /XXVII(6)–588–एक/2011/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांक 07 जून, 2016

विषय– **ई–कुबेर योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कोषागारों, उपकोषागारों एवं भुगतान एवं लेखा कार्यालय के स्तर से समस्त शासकीय लेन–देन को सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है, कि शासनादेशसंख्या–3/XXVII(6)/2013 दिनांक 02.01.2013 (फोटो प्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश के समस्त कोषागारों, उपकोषागारों एवं भुगतान एवं लेखा कार्यालय के स्तर से ई–पेंमेंट की प्रचलित प्रणाली में समस्त शासकीय भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की इन्टरनेट बैंकिग के माध्यम से सीधे सम्बन्धित के बैंक खातों में अन्तरण कर किया जा रहा है। इन्टरनेट बैंकिग की प्रक्रिया में विभिन्न बैंकों से ई–पेमेंट प्रणाली से शासकीय लेन–देन में विभिन्न कारणों से उत्पन्न गतिरोधों को दृष्टिगत् रखते हुये राज्य का समस्त शासकीय लेन–देन को ई–कुबेर योजना के अन्तर्गत सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के पोर्टल से किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

ई–कुबेर योजना में समस्त शासकीय लेन–देन के लिये शासनादेश संख्या–3/XXVII(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी, 2013 के बिन्दु–2,3,6 एवं 7 की व्यवस्था को समाप्त करते हुये इसके स्थान पर भारतीय रिजर्ब बैंक के दिशा–निर्देशों एवं स्थापित प्रकिया के कम में निम्न व्यवस्था स्थापित की जाती है:–

1. ई–कुबेर योजना मे राज्य का समस्त लेन–देन सीधे भारतीय रिजर्व बैंक की अधिकृत बेवसाईट एवं निर्धारित दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत File Transfer Protocol (FTP) के माध्यम से की जायेगी।
2. ई–कुबेर की व्यवस्था में Transction File सेन्ट्रल सर्वर पर स्थापित डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पोर्टल में अपलोड की जायेगी।
3. सभी कोषागार/उपकोषागार वाउचर्स पास करने के उपरान्त उक्तानुसार अपने लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड (CTS पर कार्य हेतु जो पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है) से Transction File को भुगतान हेतु अधिकृत करेंगें। CTS पर उक्त प्रयोजन के लिए लेखाकार, सहायक कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी/वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी एवं वित्त अधिकारी को लॉगिन आई.डी. पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये है। प्रत्येक देयक के भुगतान को सम्बन्धित कोषागार/उपकोषागार अधिकारी द्वारा ही अंतिम रूप से अधिकृत किया जायेगा।

4. ई–कुबेर के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की साईट पर पेमेंट को प्रतिदिन (अवकाश के दिनों को छोडकर) अपलोड करने की सुविधा 18.30 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। उसके उपरान्त किये जाने वाले भुगतान को अगले कार्य दिवस के लिए शिडयूल हो जायेंगे।

5. प्रतिदिन के भुगतानों का स्कोल प्रतिदिन 20.30 बजे तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय डेटा सेन्टर को उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिसकों सेन्ट्रल सर्वर पर वित्तीय डेटा सेन्टर द्वारा अपडेट किया जायेगा।

6. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दैनिक भुगतानों से सम्बन्धित विवरण (DMS) को निर्धारित प्रारूप पर सभी कोषागारों की विभागीय ई–मेल पर दैनिक व मासिक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

7. ई–कुबेर के अन्तर्गत बेनीफिसरी फाईल को पृथक से अपलोड करने की आवश्यकता नही होगी।

8. ई–कुबेर की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यदिवसों में ही उपलब्ध होगी। भारतीय रिजर्व बैंक हेतु निर्धारित अवकाश अवधियों में उक्त सुविधा का उपयोग नही किया जा सकेगा। तद्नुसार साफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी है।

9. ई– कुबेर की व्यवस्था में लाभार्थियों को भुगतान केवल बैंक खातों में ही अन्तरण करके किया जायेगा। नगद भुगतान एवं डिमान्ड ड्राफ्ट की सुविधा इस व्यवस्था में उपलब्ध नही है। अतः डिमान्ड ड्राफ्ट के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक से नयी व्यवस्था होने तक अपरिहार्य स्थिति में एस0बी0आई0 की ऑनलाइन प्रकिया से ड्राफ्ट प्राप्त करने की व्यवस्था पूर्ववत बनी रहेगी और नगद भुगतान की व्यवस्था के लिए पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जाएंगे।

10. चूंकि ई–कुबेर की व्यवस्था में प्रयुक्त साफ्टवेयर में डिमान्ड ड्राफ्ट की सुविधा नही है। अतः वेतन से वैधानिक कटौतियों के अतिरिक्त की जाने वाली अन्य कटौतियां जिनके लिए डिमान्ड ड्राफ्ट प्राप्त किया जाता है, जैसे PLI,LIC, Society Deduction, Mess, Mobile/Telephone Bills इत्यदि कटौती के लिए आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने स्तर से स्वयं की जायेगी। मार्च 2016 के वेतन से उक्त कटौतियों को किये जाने की सुविधा उपरोक्त बिन्दु–9 के कम में अग्रिम व्यवस्था तक स्थगित रहेगी।

11. ऐसे भुगतान जो किसी कारणवश भारतीय रिजर्व बैंक के पोर्टल में अपलोड करने के उपरान्त भी असफल (Failed) हो जाते है, उनको Failed Upload Option से स्कोल प्राप्त करने के बाद आवश्यक संशोधन के उपरान्त पुनः अपलोड किया जा सकेगा।

उपरोक्त व्यवस्था राज्य में दिनांक 01.04.2016 से लागू होगी। शासनादेश संख्या–3/XXVII(6)/2013 दिनांक 02.01.2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या 120 (1)/XXVII(6)- एक–यू.ओ.–34–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
5. मुख्य महा प्रबन्धक, भारतीय रिर्जव बैंक नागपुर।
6. महा प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर।
7. प्रमुख सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड।
8. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा देहरादून
9. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमांयू मण्डल उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
11. समस्त वित्त नियंत्रक उत्तराखण्ड।
12. समस्त कार्यायय अध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/भुगतान एवं लेखा कार्यालय/उपकोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
14. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव।